राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 7 (103)परि/नियम/मु0/2022/1967 जयपुर, दिनांक : 10/5/22

कार्यालय आदेश 06/2022

विषय :– कार्यालय आदेश 34/2004 (कार्यालय आदेश 09/2013 द्वारा संशोधित) में आवश्यक संशोधन बाबत।

विधिमान्य ट्रेड सर्टिफिकेट धारक डीलर्स को पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत किए जाने के संबंध में राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 4.1 (2) के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त द्वारा डीलर के लिए अर्हताए, निबन्धन एवं शर्ते, कार्यालय आदेश संख्या 34/2004 दिनांक 03.07.2004 (यथा संशोधित) जारी किया जांकर निर्धारित की गयी थी। इसी की निरन्तरता में विभाग द्वारा कार्यालय आदेश 09/2013 दिनांक 02.05.2013 को जारी कर डीलर के कार्यक्षेत्र में संशोधन किया गया था ।

वर्तमान में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 47 व 48 में संशोधन किये गये है उक्त संशोधनों को लागू किये जाने के प्रयोजनार्थ कार्यालय आदेश 34/2004 (कार्यालय आदेश 09/2013 द्वारा संशोधित) में निम्नांकित संशोधन तुरन्त प्रभाव से किए जाते है :–

कार्यालय आदेश 09/2013 दिनांक 02.05.2013 के पैरा "(अ) कार्यक्षेत्र" में उल्लेखित वाक्य "डीलर का पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य क्षेत्र वह परिवहन जिला होगा जिस क्षेत्र के लिए उसका ट्रेड सर्टिफिकेट मान्य है। लेकिन जयपुर (उत्तर) एवं जयपुर (दक्षिण) परिवहन जिले में स्थित वाहन डीलर्स का कार्य क्षेत्र, संबंधित परिवहन जिले के साथ जयपुर नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र भी होगा।" के स्थान पर निम्न वाक्य प्रतिस्थापित किये जाते है :–

"डीलर का पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य होगा अर्थात डीलर द्वारा पंजीयन अधिकारी के रूप में स्वय के द्वारा प्रथम विक्रित नये गैर परिवहन यान का प्रथम पंजीयन सम्पूर्ण राजस्थान राज्य की अधिकारिता में किया जायेगा।"

अन्य शर्ते निबंधन आदेश 34/2004 (यथा संशोधित) के अनुसार यथावत रहेंगी।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 7 (103)परि/नियम/मु0/2022/ 1968-75 जयपुर, दिनांक : 10/5/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. समस्त अधिकृत वाहन डीलर।
7. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग